

भारत सरकार
मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 618
दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: दूध के लिए बफर स्टॉक का सृजन

618. श्री एम.के. राघवन:

क्या मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा दूध और अन्य डेरी उत्पादों के लिए बफर स्टॉक तैयार करने को अस्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय के कारण बड़ी मात्रा में स्किम्ड दूध पाउडर और अन्य डेरी उत्पादों की बिक्री नहीं हो पायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनडीडीबी द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न उत्पादों के मूल्य निर्धारण का मानदंड क्या है और निजी कंपनियों से खरीद संबंधी मूल्य-निर्धारण पद्धति क्या है?

उत्तर

मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री
(डॉ० संजीव कुमार बालियान)

(क) जी, नहीं। पशुपालन और डेयरी विभाग, डेयरी सहकारिताओं को डेयरी पण्यों के बफर स्टॉक को बनाए रखने में सहायता करने के लिए उन्हें कार्यशील पूंजी के लिए सुलभ ऋण प्रदान करने हेतु “डेयरी गतिविधियों में लगी हुई डेयरी सहकारिताओं तथा किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीएफपीओ)” नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जानी है।

इस योजना के उद्देश्य हैं:-

- i. अत्यधिक प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण आए संकट से उबरने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके राज्य डेयरी सहकारिता परिसंघों तथा किसान उत्पादक संगठनों को सहायता।
- ii. डेयरी किसानों को स्थिर बाजार तक पहुंच प्रदान करना।
- iii. राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों तथा किसान उत्पादक संगठनों द्वारा किसानों को समय पर देयों की अदायगी जारी रखने में सक्षम बनाना।
- iv. सहकारिताओं तथा किसान उत्पादक संगठनों को अधिकता के मौसम के दौरान भी किसानों से लाभकारी मूल्य पर दूध खरीदने में सक्षम बनाना।

इस योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए की कायिक राशि को एनडीडीबी के पास परपेच्युटी में रखा जाना है। इस योजना के अंतर्गत एनडीडीबी को 53.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि बफर स्टॉक न रखने से स्किमड दूध पाउडर (एसएमपी) तथा अन्य डेयरी उत्पादों की मात्रा काफी अधिक हो जाएगी। एसएमपी का बफर स्टॉक तब बनाया जाता है जब दूध बाजार में नहीं बेचा जाता और उसे खराब होने से बचाने के लिए उसे एसएमपी और सफेद मक्खन में बदल दिया जाता है। एमएसपी के स्टॉक को बेचने के लिए सरकार ने “मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया योजना” (एमईआईएस) के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन की तथा भारत सरकार और उसके साथ-साथ संगत राज्य सरकारों ने अन्य उपायों की घोषणा की है। सहकारिताओं ने डेयरी पण्यों का कुछ स्टॉक निर्यात कर दिया है। इससे घरेलू दूध उत्पादकों पर स्टॉक के कारण पड़ रहे दबाव में कमी आई है। दूध उत्पादन तथा उपयोग की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्किमड दूध पाउडर तथा अन्य डेयरी उत्पादों के स्टॉक का प्रबंधन किया जा सकता है। डेयरी उत्पादों के स्टॉकों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- i. दिनांक 27.3.2018 की अधिसूचना द्वारा मट्ठा (व्हे) पाउडर के आयात शुल्क को बढ़ाया गया।
- ii. वाणिज्य विभाग ने दिनांक 13.7.2018 की अपनी अधिसूचना के द्वारा सभी डेयरी उत्पादों के लिए “मर्चेन्डाइजर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया योजना” (एमईआईएस) के अंतर्गत 10% निर्यात प्रोत्साहन की अनुमति दी है। इसके अलावा दिनांक 27.9.2018 की सार्वजनिक सूचना 40/2015-2020 के द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 12.01.2019 की अवधि तक कुछ डेयरी उत्पादों के लिए वर्तमान 10% के एमईआईएस लाभ को बढ़ाकर 20% कर दिया था।
- iii. सहकारिताओं के दूध/दूध उत्पादों की आपूर्ति को मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत शिशु विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत आंगनबाड़ी योजना, स्वास्थ्य योजना, जनजातिय छात्रावासों तथा सरकारी/संस्थागत कैंटीनों में शामिल करने के लिए सभी राज्यों को परामर्शी।
- iv. महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य की सरकारों ने स्किमड दूध पाउडर के लिए 50 रुपए/किग्रा की सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा 19.1.2019 तक की अवधि के लिए और गुजरात सरकार ने 1.1.2019 तक की अवधि के लिए यह घोषणा की है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, डेयरी सहकारिताओं के एसएमपी स्टॉक में कमी आई है और यह मार्च, 2018 के 1.82 लाख मीट्रिक टन से कम होकर मार्च, 2019 में 1.67 लाख मीट्रिक टन हो गया जबकि मई, 2018 में यह सबसे अधिक 2.08 लाख मीट्रिक टन की ऊंचाई तक पहुंच गया था।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) किसी भी डेयरी उत्पाद की खरीद या बिक्री में भाग नहीं लेता।
